9

संविधान संशोधन विधेयक

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें संविधान संशोधन विधेयकों से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों, प्रक्रिया नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों और पीठासीन अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किये गये निर्णयों/विनिर्णयों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

संविधान संशोधन विधेयक

संविधान में संशोधन करने के आशय वाले विधेयक तीन प्रकार के होते हैं:—

(1) ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित किये जाते हैं;

(2) ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 (2) में विहित विशेष बहुमत से पारित किये जाते हैं; और

(3) ऐसे विधेयक जो संसद द्वारा उपर्युक्त विशेष बहुमत द्वारा पारित किये जाते हैं तथा जिनका कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के द्वारा अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है।

विधेयक जिन्हें संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है

2. संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में संशोधन के लिए विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किये जाते हैं:

(क) नये राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना, नये राज्यों का गठन तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में अथवा उनके नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 2, 3 और 4);

1

(ख) राज्यों की विधान परिषदों का सृजन अथवा उत्सादन (अनुच्छेद 169);

(ग) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण (पांचवीं अनुसूची का पैरा 7); और

(घ) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (छठी अनुसूची का पैरा 21)।

3. इन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता। इसलिए इन्हें 'संविधान संशोधन विधेयक' शीर्षक से नहीं जाना जाता।

4. हालांकि, इन विधेयकों के संबंध में सामान्य विधायी प्रक्रिया ही लागू होती है, तथापि उपर्युक्त उप-पैरा (क) और (ख) में उल्लिखित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयकों के मामले में इसके अतिरिक्त पुर:स्थापन के लिए क्रमश: राष्ट्रपति की सिफारिश तथा संबंधित राज्य विधान सभा द्वारा आवश्यक संकल्प की पूर्व-स्वीकृति लिये जाने की आवश्यकता होती है।

5. ऐसे विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

2

संविधान संशोधन विधेयक

6. जिन विधेयकों का उद्देश्य अनुच्छेद 368(2) के परन्तुक में उल्लिखित उपबंधों सहित संविधान के अन्य सभी उपबंधों में संशोधन करना है उन्हें 'संविधान संशोधन विधेयक' शीर्षक से जाना जाता है। इन विधेयकों को संसद के किसी भी सदन में पुर:स्थापित किया जा सकता है। यदि किसी विधेयक की सूचना किसी गैर-सरकारी सदस्य से प्राप्त होती है तो विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए कार्यसूची में शामिल करने से पूर्व गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति द्वारा सबसे पहले विधेयक की जांच की जाती है और पुर:स्थापन के लिए उसकी सिफारिश की जाती है। विधेयकों के पुर:स्थापन के प्रस्तावों पर निर्णय साधारण बहुमत से किया जाता है।

7. संविधान संशोधन विधेयकों को धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं माना जाता है। तद्नुसार इन विधेयकों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 117 और 274 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। तथापि, यदि मंत्री द्वारा सिफारिश की सूचना दी जाती है, तो इसे सदस्यों की जानकारी हेतु विधेयक अथवा समाचार, जैसी भी स्थिति हो, में प्रकाशित किया जाता है।

विशेष बहुमत

8. संविधान संशोधन विधेयकों को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत अर्थात् उस सभा की समस्त सदस्य संख्या

के बहुमत से तथा सभा के ''उपस्थित और मतदान करने वाले'' सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित करना पड़ता है। ''समस्त सदस्य-संख्या'' पद से सदस्यों की वह पूरी संख्या अभिप्रेत है जिनसे मिलकर सभा बनी है, चाहे उसमें किसी भी कारण से रिक्तियां या अनुपस्थितियां क्यों न हों। ''उपस्थित और मतदान करने वाले'' पद से सदस्य अभिप्रेत हैं जो ''पक्ष'' में या ''विपक्ष'' में मतदान करते हैं। वे सदस्य जो सभा में उपस्थित तो हैं परन्तु विद्युत मत अभिलेखन यंत्र द्वारा या मतदान पर्ची पर या किसी अन्य रीति से ''मतदान में भाग न लेना'' अंकित करते हैं, उन्हें ''उपस्थित और मतदान करने वाले'' सदस्य नहीं माना जाता।

9. यदि संवैधानिक उपबन्ध का कठोर निर्वचन किया जाए तो संविधान में विहित विशेष बहुमत की अपेक्षा केवल पठन के तीसरे चरण पर मतदान के लिए की गई है। परन्तु सावधानी के तौर पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों में विधेयक के सभी प्रभावी चरणों, अर्थात् ''कि विधेयक पर विचार किया जाए'' प्रस्ताव; ''कि विधेयक पर, प्रवर या संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित, विचार किया जाए'' प्रस्ताव; कि ''विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विचार किया जाए'' प्रस्ताव; विधेयक के खण्डों और उसकी अनुसूचियों को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव तथा अन्ततः ''कि विधेयक को पारित किया जाए'' प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए विशेष बहुमत

की अपेक्षा का उपबन्ध किया गया है। ''कि विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये'' प्रस्ताव या ''कि विधेयक प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपा जाये'' प्रस्ताव साधारण बहुमत से स्वीकार किये जाते हैं।

10. जब कभी कोई प्रस्ताव विशेष बहुमत से स्वीकार करना होता है तब मतदान हमेशा मत-विभाजन द्वारा किया जाता है। मतदान के परिणाम की घोषणा करते हुए अध्यक्ष इस बात का विशेषरूप से उल्लेख करता है कि प्रस्ताव विशेष बहुमत से स्वीकार किया गया है।

11. प्रत्येक खंड या अनुसूची को अलग-अलग मतदान के लिए सभा के समक्ष रखा जाता है और उसे विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है। तथापि, अध्यक्ष सभा की सहमति से खण्डों या अनुसूचियों के किसी ग्रुप को एक साथ सभा के मतदान के लिए रख सकता है। ऐसी स्थिति में मतदान का परिणाम प्रत्येक खण्ड अथवा अनुसूची पर अलग-अलग रूप से लागू माना जाएगा तथा ऐसे ही कार्यवाही में दर्शाया जाएगा। तथापि, यदि कोई सदस्य प्रार्थना करता है कि खण्डों या अनुसूचियों में से किसी एक खण्ड या अनुसूची को अलग मतदान के लिए रखा जाए, तो अध्यक्ष ऐसी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। विधेयक का संक्षिप्त नाम, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम साधारण बहुमत से स्वीकार किए जाते हैं। जहां संक्षिप्त नाम (खण्ड 1) में अधिनियम के प्रारम्भ होने के बारे में उपबन्ध होता है, वहां इसे भी विशेष बहुमत से स्वीकार किया जाता है।

5

12. खण्डों और अनुसूचियों में संशोधन किसी भी अन्य विधेयक के मामले की तरह साधारण बहुमत से विनिश्चित किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन

13. कोई ऐसा संविधान संशोधन विधेयक जिसका उद्देश्य:—

राष्ट्रपति के निर्वाचन; या

संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार; या

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों; या

संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण; या

संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व; या

संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन करने, से संबंधित अनुच्छेदों में कोई संशोधन करना है,

संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित हो जाने के पश्चात्, ऐसे संशोधन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु उसे प्रस्तुत किए जाने के पहले उस संशोधन का राज्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों को उस प्रयोजन के लिए उन विधानमंडलों से पारित संकल्पों द्वारा अनुसमर्थन करना होता है।

संयुक्त बैठक

14. किसी संविधान संशोधन विधेयक के बारे में संसद के दोनों सदनों के बीच किसी प्रकार की असहमति के मामले में उस विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक नहीं हो सकती क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 में यथापेक्षित प्रत्येक सदन में विहित विशेष बहुमत द्वारा विधेयक पारित किया जाएगा।

संविधान संशोधन विधेयकों पर अनुमति

15. संसद द्वारा विहित विशेष बहुमत से और जहां आवश्यक हो, अपेक्षित संख्या में राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित संविधान संशोधन विधेयकों को संविधान के अनुच्छेद 368, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर अनुमति देनी होती है, के अधीन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है।

[संविधान संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 और लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 155-159 के अधीन विनियमित होते हैं।]